राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कमांकः पीएस/पी.एच.एस./2011 /132 दिनांकः 11 July 2011

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. समस्त संभागीय आयुक्त/पुलिस माहनिरीक्षक रेंज/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर
4. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक/सभी उपायुक्त पुलिस, जयपुर/जोधपुर।

विषय :– राज्य के सेवारत् चिकित्सकों द्वारा दिनांक 12 व 13 जुलाई, 2011 को सामूहिक अवकाश एवं सामूहिक त्यागपत्र देने की कार्यवाही को रोके जाने बाबत्।

महोदय,

राज्य के सेवारत् चिकित्सकों द्वारा पद्दोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में दिनांक 12 व 13 जुलाई, 2011 को सामूहिक अवकाश एवं दिनांक 14 जुलाई, 2011 को सामूहिक त्यागपत्र देने की घोषणा की है। चूंकि इस कार्यवाही से आवश्यक चिकित्सा सेवाओं के बाधित होने की आंशका है, अतः राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त सामूहिक अवकाश एवं दिनांक 14 जुलाई, 2011 को सामूहिक त्यागपत्र को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि :

1. दिनांक 12, 13 जुलाई, 2011 एवं 14 जुलाई, 2011 को समस्त चिकित्साधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।
2. दिनांक 12, 13 एवं 14 जुलाई, 2011 को किसी भी चिकित्साधिकारी का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे। इस आदेश का अतिक्रमण उन्हीं परिस्थितियों में किया जावे जब आप अवकाश आवेदन के औचित्य के बारे में स्वयं संतुष्ट हों।
3. दिनांक 12, 13 एवं 14 जुलाई, 2011 को किसी भी चिकित्साधिकारी को फील्ड ड्यूटी/दौरे आदि में नहीं भेजा जावे।
4. दिनांक 12, 13 एवं 14 जुलाई, 2011 को चिकित्साधिकारियों की उपस्थिति की जांच उनके ड्यूटी समय के मध्य आवश्यक रूप से की जावे और कोई चिकित्सक अनुपस्थित मिले तो उसे बिना सक्षम आदेश का अवकाश मानते हुये उसे बिना वेतन अवकाश एवं सेवा–विच्छेद की श्रेणी में मानने पर विचार किया जा सकता है।
5. सभी चिकित्सको को सूचित किया जावे कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है एवं विशेष तौर पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 86 तथा धारा 19 सीसीए नियम के तहत कार्यवाही सम्भव है।

यह आदेश सभी सेवारत चिकित्सकों पर लागू होगें।

भवदीय,

11.7.11

(बी.एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव 11.7.11

कमरा नम्बर 5213, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान, भारत — 302 005

Tel [O]: +91 (141)2227132 Tel [R]: +91 (141) 2701277 Fax: +91 (141) 2227797